क्रम-संख्या—116

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 5 मार्च, 1980
फाल्गुन 15, 1901 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 574/सत्रह-वि-1-111-1979
लखनऊ, 5 मार्च, 1980

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 पर दिनांक 4 मार्च 1980 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1980 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) अधिनियम, 1980

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1980]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

न्यायालय फीस अधिनियम, 1870, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

### अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) इस अधिनियम की धारा 10 तुरन्त प्रवृत्त होगी, उसकी धारा 11 ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगी जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे और शेष धारायें 21 नवम्बर, 1979 को प्रवृत्त समझी जायंगी ।

## अध्याय 2

## न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 का संशोधन

अधिनियम संख्या 7 सन् 1870 की धारा 6 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 में—

(क) उपधारा (1) में, प्रथम परन्तुक में, शब्द "यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 या यूनाइटेड प्राविन्सेज लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901" के स्थान पर शब्द "भौमिक अधिकार या भू-राजस्व से संबंधित किसी विधि" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (6) में, शब्द "मुख्य निरीक्षक, स्टाम्प" के स्थान पर शब्द "स्टाम्प आयुक्त" रख दिये जायेंगे ।

धारा 6-क का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 6-क में, उपधारा (3) में, शब्द "मुख्य निरीक्षक, स्टाम्प" के स्थान पर शब्द "स्टाम्प आयुक्त" रख दिये जायेंगे ।

धारा 6-ख का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 6-ख में, उपधारा (1) में, शब्द "मुख्य निरीक्षक, स्टाम्प" के स्थान पर शब्द "स्टाम्प आयुक्त" रख दिये जायेंगे ।

धारा 24-क का प्रतिस्थापन

5—मूल अधिनियम की धारा 24-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

न्यायालय शुल्क पर नियंत्रण और स्टाम्प आयुक्त

"24-क—(1) इस अधिनियम के अधीन फीस का उद्ग्रहण मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के साधारण नियंत्रण और अधीक्षण में होगा जिसके पर्यवेक्षण में उसकी सहायता स्टाम्प आयुक्त द्वारा और उतने अपर स्टाम्प आयुक्तों, उप स्टाम्प आयुक्तों और सहायक स्टाम्प आयुक्तों द्वारा जितने राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे या इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किसी अन्य अधीनस्थ अभिकरण द्वारा की जायगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी और अभिकरण की पहुंच सभी अभिलेखों तक होगी, और उन्हें ऐसी सभी सूचना प्रस्तुत की जायगी जिसकी वे इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये अपेक्षा करें ।"

## अध्याय 3

## भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का संशोधन

अधिनियम संख्या 2 सन् 1899 की धारा 33 का संशोधन

6—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 33 में,—

(एक) उपधारा (2) में, परन्तुक में, खण्ड (क) में, शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अध्याय 12 या अध्याय 36" के स्थान पर शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 से 128 और धारा 145 से 148" रख दिये जायेंगे;

(दो) उपधारा (2) के पश्चात् वर्तमान उपधाराओं के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

"(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, राज्य सरकार, शंका की दशा में, यह अवधारित कर सकेगी कि किन कार्यालयों को लोक कार्यालय समझा जायगा और किन व्यक्तियों को लोक कार्यालयों का भारसाधक समझा जायगा ।

(4) जहां संदत्त स्टाम्प शुल्क में कोई कमी किसी लिखत की प्रति से सूचना में आये, वहां कलेक्टर, स्वविवेक से या किसी न्यायालय या स्टाम्प आयुक्त या किसी अपर स्टाम्प आयुक्त या उप स्टाम्प आयुक्त या सहायक स्टाम्प आयुक्त या राजस्व परिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के निर्देश पर, मूल लिखत को, उस पर संदत्त शुल्क की पर्याप्तता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मंगा सकता है, और कलेक्टर के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया गया लिखत उसके कृत्यों के निर्वहन में उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया या आया समझा जायगा ।

(5) यदि लिखत कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह स्टाम्प शुल्क की कमी को, यदि कोई हो, लिखत की प्रति पर धारा 40 के अधीन शास्ति-सहित संदाय करने की अपेक्षा करेगा :

परन्तु यह कि लिखत के निष्पादन की तारीख से चार वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी ।"

धारा 35 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 35 में, परन्तुक में, खण्ड (घ) में, शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अध्याय 12 या अध्याय 36" के स्थान पर शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 से 128 और धारा 145 से 148" रख दिये जायेंगे ।

धारा 47-क का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 47-क में, उपधारा (4) में, शब्द "मुख्य स्टाम्प निरीक्षक, उत्तर प्रदेश या राजस्व परिषद् के स्टाम्प विभाग के किसी अधिकारी" के स्थान पर शब्द "स्टाम्प आयुक्त या किसी अपर स्टाम्प आयुक्त या उप स्टाम्प आयुक्त या सहायक स्टाम्प आयुक्त या राजस्व परिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी" रख दिये जायेंगे ।

धारा 61 का संशोधन

9--मूल अधिनियम की धारा 61 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 के अध्याय 12 या अध्याय 36" के स्थान पर शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 से 128 और धारा 145 से 148" रख दिये जायेंगे ।

नई धारा 73-क का बढ़ाया जाना

10--मूल अधिनियम की धारा 73 क पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"73-क-- (1) जहां कलेक्टर को यह विश्वास करने का कारण हो कि अनुसूची 1-बी के अनुच्छेद 5 और 43 में विनिर्दिष्ट समस्त या कोई लिखत इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क से बिल्कुल प्रभारित नहीं किया गया है या गलत रूप से प्रभारित किया गया है, वहां वह किसी अधिकारी को किसी परिसर में, जहां कलेक्टर को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी ऐसे लिखत से सम्बन्धित या उसके सम्बन्ध में कोई रजिस्टर, पुस्तक, अभिलेख, कागजादि, दस्तावेज या कार्यवृत्त रखे गये हैं, प्रवेश करने और उनका निरीक्षण करने और ऐसे टिप्पण या उद्धरण (जिसे ऐसा अधिकारी आवश्यक समझे) लेने के लिए लिखित रूप से प्राधिकृत कर सकेगा ।

परिसर में प्रवेश करने और कतिपय दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिये अधिकारी को प्राधिकृत करने की कलेक्टर की शक्ति ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा या अनुरक्षण में ऐसा रजिस्टर, पुस्तक, अभिलेख, कागजादि, दस्तावेज या कार्यवृत्त हो, सभी सुसंगत समयों पर ऐसे अधिकारी को उनका निरीक्षण करने देगा और जो टिप्पण और उद्धरण, वह आवश्यक समझे, लेने देगा ।"

अनुसूची 1-बी का संशोधन

11--मूल अधिनियम की अनुसूची 1-बी में,--

(क) अनुच्छेद 15 (बन्धपत्र) में, उचित स्टाम्प शुल्क से सम्बन्धित स्तम्भ में, निम्न सारणी के स्तम्भ-1 में दिये गये शब्दों के स्थान पर क्रमशः उनके सामने निम्न सारणी के स्तम्भ-2 में दिये गये शब्द रख दिये जायेंगे :

| स्तम्भ-1 (वर्तमान शब्द) | स्तम्भ-2 (प्रतिस्थापित किये जाने वाले शब्द) |
|---|---|
| पैंतालिस पैसे | पचास पैसे |
| एक रुपया | दो रुपये |
| तीन रुपये पचहत्तर पैसे | चार रुपये पच्चीस पैसे |
| सात रुपये पचास पैसे | आठ रुपये पचास पैसे |
| ग्यारह रुपये पच्चीस पैसे | बारह रुपये पचहत्तर पैसे |
| पन्द्रह रुपये | सत्रह रुपये |
| अट्ठारह रुपये पचहत्तर पैसे | इक्कीस रुपये पच्चीस पैसे |
| बाइस रुपये पचास पैसे | पच्चीस रुपये पचास पैसे |
| छब्बीस रुपये पच्चीस पैसे | उन्तीस रुपये पचहत्तर पैसे |
| तीस रुपये | चौंतीस रुपये |
| तैंतीस रुपये पचहत्तर पैसे | अड़तीस रुपये पच्चीस पैसे |
| सैंतीस रुपये पचास पैसे | बयालीस रुपये पचास पैसे |
| अट्ठारह रुपये पचहत्तर पैसे | इक्कीस रुपये पच्चीस पैसे । |

(ख) अनुच्छेद 23 (हस्तान्तरण-पत्र) में, उचित स्टाम्प शुल्क से संबंधित स्तम्भ में, निम्न सारणी के स्तम्भ–1 में दिये गये अंकों के स्थान पर, क्रमश: उनके सामने निम्न सारणी के स्तम्भ-2 में दिये गये अंक रख दिये जायेंगे :

| स्तम्भ–1 (वर्तमान अंक) | स्तम्भ–2 (प्रतिस्थापित किये जाने वाले अंक) |
|---|---|
| रु0 पै0 | रु0 पै0 |
| 2.00 | 4.00 |
| 7.50 | 8.50 |
| 15.00 | 17.00 |
| 22.50 | 25.50 |
| 30.00 | 34.00 |
| 37.50 | 42.50 |
| 45.00 | 51.00 |
| 52.50 | 59.50 |
| 60.00 | 68.00 |
| 67.50 | 76.50 |
| 75.00 | 85.00 |
| 37.50 | 42.50 |

(ग) अनुच्छेद 48 में, खण्ड (च) में, शब्द "किसी अन्य मामले में" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात्:—

"जब एक से अधिक संव्यवहार में अथवा साधारणतया, संयुक्ततः और पृथकतः कार्य करने के लिए दस से अधिक व्यक्तियों को प्राधिकृत किया जाय ।"

## अध्याय 4

## रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का संशोधन

अधिनियम संख्या 16 सन् 1908 की धारा 8 का संशोधन

12—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 8 में,—

(एक) उपधारा (1) में, शब्द "रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों के निरीक्षक" के स्थान पर शब्द "सहायक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक" रख दिये जायेंगे ;

(दो) उपधारा (2) में, शब्द "निरीक्षक" के स्थान पर शब्द "सहायक महानिरीक्षक" रख दिये जायेंगे ।

## अध्याय 5

## प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

13—(1) उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित अध्याय दो, तीन और चार में उल्लिखित किसी अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उपर्युक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के प्राविधान सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव ।

No. 574(2)/XVII-V—1—111-1979

*Dated Lucknow, March* 5, 1980

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Uttar Pradesh Nyayalaya Fees, Stamp Aur Registrikaran Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1980. (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 1980) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on March 4, 1980.

# THE UTTAR PRADESH COURT FEE, STAMP AND REGISTRATION LAWS (AMENDMENT) ACT, 1980

(U. P. Act No. 6 of 1980)

(AS PASSED BY THE UTTAR PRADESH LEGISLATURE)

AN

ACT

*further to amend the Court Fees Act, 1870, the Indian Stamp Act, 1899 and the Registration Act, 1908, in their application to Uttar Pradesh*

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-first Year of the Republic of India as follows :—

## CHAPTER I

## Preliminary

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Court Fee, Stamp and Registration Laws (Amendment) Act, 1980.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) Section 10 of this Act shall come into force at once, section 11 thereof shall come into force on such date as the State Government may, by notification appoint in this behalf, and the remaining sections shall be deemed to have come into force on November 21, 1979.

## CHAPTER II

## Amendment of the Court Fees Act, 1870

Amendment of section 6 of Act no. VII of 1870.

2. In section 6 of the Court Fees Act, 1870 as amended in its application to Uttar Pradesh, hereinafter, in this Chapter referred to as the principal Act—

(*a*) in sub-section (1), in the first proviso, *for* the words "the United Provinces Tenancy Act, 1939, or the United Provinces Land Revenue Act, 1901", the words "any law relating to land tenures or land revenue" shall be *substituted* ;

(*b*) in sub-section (6), *for* the words "Chief Inspector of Stamps" the words "Commissioner of Stamps" shall be *substituted*.

Amendment of section 6-A.

3. In section 6-A of the principal Act, in sub-section (3), *for* the words "Chief Inspector of Stamps", the words "Commissioner of Stamps" shall be *substituted*.

Amendment of section 6-B.

4. In section 6-B of the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "Chief Inspector of Stamps", the words "Commissioner of Stamps" shall be *substituted*.

Substitution of section 24-A.

5. *For* section 24-A of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"24-A. (1) The levy of fees under this Act shall be under the general control and superintendence of the Chief Controlling Revenue Authority, who may be assisted in the supervision thereof by the Commissioner of Stamps and by as many Additional Commissioners of Stamps, Deputy Commissioners of Stamps and Assistant Commissioners of Stamps as the State Government may appoint in this behalf or by any other subordinate agency appointed for the purpose.

Control of Court fee and Stamp Commissioner.

(2) The Officers and the agency referred to in sub-section (1) shall have access to all records, and shall be furnished with all such information as may be required by them for the performance of their duties under this Act."

## CHAPTER III

## Amendment of the Indian Stamp Act, 1899

Amendment of section 33 of Act no. II of 1899.

6. In section 33 of the Indian Stamp Act, 1899, as amended in its application to Uttar Pradesh, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,—

(i) in sub-section (2), in the proviso, in clause (*a*), *for* the words and figures "Chapter XII or Chapter XXXVI of the Code of Criminal Procedure, 1898", the words and figures "sections 125 to 128 and sections 145 to 148 of the Code of Criminal Procedure, 1973" shall be *substituted*;

(ii) *after* sub-section (2), *for* the existing sub-sections, the following sub-sections shall be *substituted*, namely :—

"(3) For the purposes of this section the State Government may in cases of doubt, determine what offices shall be deemed to be public offices and who shall be deemed to be persons in charge of public offices.

(4) Where deficiency in stamp duty paid is noticed from the copy of any instrument, the Collector may *suo motu* or on a reference from any court or from the Commissioner of Stamps or an Additional Commissioner of Stamps or a Deputy Commissioner of Stamps or an Assistant Commissioner of Stamps or any officer authorised by the Board of Revenue in that behalf, call for the original instrument for the purpose of satisfying himself as to the adequacy of the duty paid thereon, and the instrument so produced before the Collector shall be deemed to have been produced or come before him in the performance of his functions.

(5) In case the instrument is not produced within the period specified by the Collector, he may require payment of deficit stamp duty, if any, together with penalty under section 40 on the copy of the instrument:

Provided that no action under sub-section (4) or sub-section (5) shall be taken after a period of four years from the date of execution of the instrument."

Amendment of section 35.

7. In section 35 of the principal Act, in the proviso in clause (*d*), *for* the words and figures "Chapter XII or Chapter XXXVI of the Code of Criminal Procedure, 1898", the words and figures "sections 125 to 128 and sections 145 to 148 of the Code of Criminal Procedure, 1973" shall be *substituted*.

Amendment of section 47-A.

8. In section 47-A of the principal Act, in sub-section (4), *for* the words "Chief Inspector of Stamp, Uttar Pradesh or any officer of the Stamp Department of the Board of Revenue", the words "Commissioner of Stamps or an Additional Commissioner of Stamps or a Deputy Commissioner of Stamps or an Assistant Commissioner of Stamps or any officer authorised by the Board of Revenue in that behalf" shall be *substituted*.

Amendment of section 61.

9. In section 61 of the principal Act, in sub-section (1), *for* the words and figures "Chapter XII or Chapter XXXVI of the Code of Criminal Procedure, 1898," the words and figures "sections 125 to 128 and sections 145 to 148 of the Code of Criminal Procedure, 1973" shall be *substituted*.

Insertion of new section 73-A.

10. *After* section 73 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

Collector's power to authorise officer to enter premises and inspect certain documents.

"73-A. (1) Where the Collector has reason to believe that all or any of the instruments specified in Articles 5 and 43 of the Schedule 1-B have not been charged at all or have been incorrectly charged with duty leviable under this Act, he may authorise in writing any officer to enter upon any premises where the Collector has reason to believe that any registers, books, records, papers, documents or proceedings relating to or in connection with any such instrument are kept and to inspect them, and to take such notes and extracts as such officer deems necessary.

(2) Every person having in his custody or maintaining such registers, books, records, papers, documents or proceedings shall at all reasonable times, permit such officer to inspect them and to take such notes and extracts as he may deem necessary."

Amendment of Schedule 1-B.

11. In Schedule 1-B of the principal Act—

(*a*) in Article 15 (Bond), in the column relating to the "Proper Stamp Duty", *for* the words set out in Column 1 of the table below, the words set out respectively against them in Column 2 of the table below, shall be *substituted*:—

| COLUMN 1 (*Existing words*) | COLUMN 2 (*Words to be substituted*) |
|---|---|
| Forty-five paise .. .. | Fifty paise. |
| One rupee .. | Two rupees. |
| Three rupees and seventy-five paise .. | Four rupees and twenty-five paise. |
| Seven rupees and fifty paise .. | Eight rupees and fifty paise. |
| Eleven rupees and twenty-five paise .. | Twelve rupees and seventy-five paise. |
| Fifteen rupees .. | Seventeen rupees. |
| Eighteen rupees and seventy-five paise. | Twenty-one rupees and twenty-five paise. |
| Twenty-two rupees and fifty paise .. | Twenty-five rupees and fifty paise. |
| Twenty-six rupees and twenty-five paise. .. | Twenty-nine rupees and seventy-five paise. |
| Thirty rupees .. | Thirty-four rupees. |
| Thirty-three rupees and seventy-five paise. .. | Thirty-eight rupees and twenty-five paise. |
| Thirty-seven rupees and fifty paise .. | Forty-two rupees and fifty paise. |
| Eighteen rupees and seventy-five paise. .. | Twenty-one rupees and twenty-five paise. |

(*b*) in Article 23 (Conveyance), in the column relating to "Proper Stamp Duty", *for* the figures set out in Column 1 of the table below, the figures set out respectively against them in Column 2 of the table below, shall be *substituted*:—

| COLUMN 1 (*Existing figures*) | COLUMN 2 (*Figures to be substituted*) |
|---|---|
| Rs. P. | Rs. P. |
| 2.00 | 4.00 |
| 7.50 | 8.50 |
| 15.00 | 17.00 |
| 22.50 | 25.50 |
| 30.00 | 34.00 |
| 37.50 | 42.50 |
| 45.00 | 51.00 |
| 52.50 | 59.50 |
| 60.00 | 68.00 |
| 67.50 | 76.50 |
| 75.00 | 85.00 |
| 37.50 | 42.50 |

(*c*) in Article 48 in clause (*f*), *for* the words "in any other case" the following words shall be *substituted*,—

"When authorising more than ten persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally."

## CHAPTER IV
## Amendment of the Registration Act, 1908

Amendment of section 8 of Act XVI of 1908.

12. In section 8 of the Registration Act, 1908 as amended in its application to Uttar Pradesh—

(i) in sub-section (1), *for* the words "Inspectors of Registration Offices" the words "Assistant Inspector General of Registration" shall be *substituted*.

(ii) in sub-section (2), *for* the words "Inspector", the words "Assistant Inspector General" shall be *substituted*.

CHAPTER V

**Miscellaneous**

**Repeal and savings.**

13. (1) The Uttar Pradesh Court Fee, Stamp and Registration Laws (Amendment) Ordinance, 1979, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under any of the Acts mentioned in Chapters II, III and IV as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the aforesaid Acts, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
*Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 323 सा० (विधा०)--5-3-80--( )--1980--700 (मैक०) ।